

कार्यालय :- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जोधपुर जिला

क्रमांक : 2026 / 05

दिनांक : 08/01/2026

:: कार्यालय आदेश ::

मैं आदित्य, (लिंक अधिकारी) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जोधपुर जिला भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 13(2) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रशासनिक कारणों से इस कार्यालय के पूर्व आदेश क्रमांक 2026/03 दिनांक 03.01.2026 में आंशिक संशोधन कर राजकीय अवकाश दिनांक 18.01.2026 को जोधपुर जिला मुख्यालय, ओसियां, बालेसर, बिलाड़ा, पीपाड़ शहर, भोपालगढ़ न्यायालयों के क्षेत्राधिकार में उत्पन्न होने वाले आवश्यक आपराधिक प्रकरणों यथा रिमाण्ड, जमानत, मृत्युकालीन कथन, मृत्यु समीक्षा एवं अन्य आवश्यक कार्य तथा प्रोटोकॉल आदि के लिए पूर्व में अधिकृत न्यायिक अधिकारी श्रीमती वैदेही सिंह चौहान, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बालेसर की रिमाण्ड ड्यूटी निरस्त की जाकर उनके स्थान पर निम्नलिखित न्यायिक अधिकारी को उक्त राजकीय अवकाश की तिथि को एवं नियत तिथि के पूर्ववर्ती कार्य दिवस को कार्यालय समय पश्चात् से पश्चात्पूर्वी कार्य दिवस को कार्यालय समय पूर्व तक अपने मुख्यालय पर उपस्थित रहकर और यदि किसी कारण से नियत तिथि से पूर्ववर्ती या पश्चात्पूर्वी कार्य दिवस का अवकाश घोषित होता है तो संबंधित अधिकारी को ही मुख्यालय पर उपस्थित रहकर उक्त कार्य संपादित करने के लिए अधिकृत करता हूं :-

क्र.स.	अधिकृत न्यायिक अधिकारी का नाम व पदनाम	रिमाण्ड ड्यूटी की दिनांक	क्षेत्राधिकार
1.	श्री हिमांशु मीना, न्यायिक मजिस्ट्रेट, बालेसर	18/01/2026	जोधपुर जिला, बालेसर, बिलाड़ा, पीपाड़ शहर, ओसियां, भोपालगढ़ न्यायालयों हेतु

उक्त संशोधन के अतिरिक्त इस कार्यालय का पूर्वादेश (क्रमांक 03 दिनांक 03.01.2026) यथावत रहेगा।


(लिंक अधिकारी)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जोधपुर जिला

क्रमांक : 37

दिनांक : 08/01/2026

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, जोधपुर जिला।
2. श्रीमान् विशिष्ट न्यायाधीश महोदय, पोक्सो न्यायालय, जोधपुर जिला।
3. श्रीमान् अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, जोधपुर जिला/बिलाड़ा/बालेसर।
4. श्रीयुत अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बिलाड़ा/पीपाड़ शहर/बालेसर/ओसियां।
5. श्रीयुत न्यायिक मजिस्ट्रेट, जोधपुर जिला/बालेसर/पीपाड़ शहर/भोपालगढ़/बिलाड़ा।
6. श्रीयुत न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, ओसियां।
7. श्रीयुत जिला पुलिस अधीक्षक, जोधपुर ग्रामीण को प्रेषित कर लेख है कि सभी थानाधिकारियों को सूचित करावें।
8. जिला आबकारी अधिकारी, जोधपुर को प्रेषित कर लेख है कि अपने अधीन कार्यरत वृत्त निरीक्षक/प्रहराधिकारी/भारसाधक अधिकारी, आबकारी थाना को सूचित करावें।
9. उपनिदेशक, अभियोजन, जोधपुर।
10. सिस्टम अधिकारी, कम्प्यूटर सेल, जिला न्यायालय, जोधपुर जिला को प्रेषित कर लेख है कि इस आदेश को जिला न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करे।
11. कार्यालय प्रति।


(लिंक अधिकारी)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जोधपुर जिला

08/01/2026